भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1865

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में रोजगार

1865. श्री खगेन मुर्मुः

श्री अजय मिश्र टेनीः

श्री राजवीर दिलेरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): कृषि राज्य का विषय है। हालांकि, भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास और प्रगति का समर्थन और सुविधा प्रदान करती है। कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देकर किसानों को लाभान्वित करने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी योजनाओं को लक्षित किया जाता है। इनमें से कुछ योजनाएँ - परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी), विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता आदि हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से आरकेवीवाई-रफ्तार के तहत एक नया घटक यथा नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता घटक शुरू किया गया है। कृषि-उद्यमिता विकास और कृषि एवं संबद्ध विषयों में डिग्री/डिप्लोमा/इंटरमीडिएट और 18-60 वर्ष की आयु के भीतर जीव विज्ञान विषय / पर्यावरण विज्ञान वाले अभ्यार्थियों के लिए स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए वर्ष 2002 के दौरान कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी एंड एबीसी) की स्थापना के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

युवा किसानों एवं महिलाओं सहित किसानों को संगठित करते हुए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी शुरू की गई है।

****